रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2006/पौष 22, 1927 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 593
No. 6] DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2006/PAUSA 22, 1927 [N.C.T.D. No. 593

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2006

सं. फा. 9 (17)/2004/सी सी/योजना/6758.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68- डी एच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

(i) इस सरकार के अन्तर्गत योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में निदेशक (योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में संलग्न अनुसूची में नियम बनाते है, तथा;

(ii) इस सरकार की दिनांक 19-07-1994 की अधिसूचना सं. फा. 9(17)/87/2861-68 द्वारा अधिसूचित योजना विभाग में निदेशक (अर्थ एवं सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निदेशक (योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी)	*1 (2005) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अलिपिकीय	14300-400-18300 रुपए	चयन	लागू नहीं होता

क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अर्न्तगत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन एवं विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
पदोन्नति द्वारा जिसके न होंने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :—** 12000–16500 रुपये के वेतनमान की ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित संयुक्त निदेशक (योजना), जिसके न होने पर संयुक्त निदेशक (योजना) के रूप में दस वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा सहित संयुक्त निदेशक (योजना) तथा के रूप में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित उप-निदेशक (योजना) (10000–15200 रुपए) **नोट :—**जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :—**केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी : क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में 12000–16,500 रु. या समकक्ष वेतनमान में नियमित के तुरन्त बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित (3) मूल संवर्ग/विभाग में 10000–15200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दस वर्ष की सेवा सहित (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/आपरेशन अनुसंधान/गणित/अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी सहित वाणिज्यकीय में मास्टर डिग्री या समकक्ष (2) सांख्यिकी कार्य में पन्द्रह वर्ष का अनुभव (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नती द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होंगी)।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
13	14
ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचारार्थ) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य 3. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य	प्रतिनियुक्ति अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

वी. वी. भट्ट, प्रधान सचिव

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th January, 2006

F. 9(17)/2004-CC/Plg/6758—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/1968-DH (S) dated 24-9-1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to :—

(i) make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Director (Planning, Economics and Statistics) in Planning, Economics and Statistics Department, under this Government and,

(ii) Cancel the recruitment rules for the post of Director (D. E. S.) in the Planning Department of this Government notified vide Notification No. F. 9(17)/87/2861-68 dated 19-07-1994.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection post
1	2	3	4	5
Director (Planning, Economics and Statistics)	01*(2005) *Subject to variation dependent on work load.	GCS Group "A" Gazetted Non-Ministerial	Rs. 14300-400 18300	Selection

Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for Direct Recruits	Educational and other qualifications required for Direct Recruits	Whether age and EQ Prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Nil

Method of Rectt. Whether by Dircet Rectt. or by Promotion or by Deputation/Absorption and % of the posts to be filled by various methods	In case of Rectt. by Promotion/Deputation/Absorption, grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made
11	12
Promotion failing which By Deputalion	**Promotion:** Joint Director (Plg) in the scale of pay of Rs. 12000-16500 with five years regular service in the grade, failing which Joint Director (Plg) with combined regular service of ten years as Joint Director (Plg) and Dy. Director (Plg) (Rs. 10000-15200) with two years regular service as Joint Director (Plg). **Note:** While juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Depuatation :** Officers under the Central/State Govts./Union Territories— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto or regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent Cadre/Department; or (iii) With ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent Cadre/Department; and possessing the following Educational Qualifications and Experience: (i) Master's Degree in Statistics/Operations Research/Mathematics/Economics/ Commerce with Statistics from a recognized university or equivalent. (ii) Fifteen years experience in Statistical works. (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of Deputation including period of Deputation in another Ex-Cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of the receipt of applications.

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making rectt.
13	14
Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member,UPSC —Chairman 2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi —Member 3. Secretary concerned in the Govt. of NCT of Delhi —Member	Consultation with the UPSC necessary while appointing an Officer on Deputation.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the Notional Capital Territory of Delhi,

V. V. BHAT, Pr. Secy.

वित्त (कर तथा स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

सं. फा. 2 (19)/वित्त (व्यय-1)/2003-04/1163 ख.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726/सं. फा. 2/5/61-न्याय-II के साथ पठित भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (1899 की सं. 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उस प्रतिभूति प्रलेख पर शुल्क घटाते हैं, जो प्रतिभूति प्रलेख भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1क के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत अधिकतम एक लाख रुपये की राशि का अन्तर्निहित प्रतिभूत्रण सहित या निर्दिष्ट राशि के ऋण के प्रति एक हजार रुपये या इसके भाग के लिये एक रुपये के दर से वसूला जाना है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
डॉ. पूजा गुप्ता, उप-सचिव

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th January, 2006

No. F. 2(19)/Fin. (E-I)/2003-04/1163 Kha.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1726/No. F. 2/5/61-Judl. II dated the 22nd July, 1961, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby reduces the duty with which an instrument of securitization of loan or assignment of debt with underlying securities is chargeable under article 23 of Schedule 1A of the Indian Stamp Act, 1899 as applicable to Delhi to one rupee for every one thousand rupees or part thereof, of the loan securitized or debt assigned with underlying securities, subject to a maximum of rupees one lakh.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
Dr. POOJA GUPTA, Dy. Secy.

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

सं. फा. 47/23/को.आप./पा./05/286-94.— दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के प्रावधान (दिल्ली अधिनियम-3 वर्ष 2003) की धारा 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 112, 115 और 116 क्रमश: सरकार की शक्तियों/दिल्ली के उपराज्यपाल से संबंधित अपील, पुनर्मोदन और पुनर्विचार वित्तीय आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को तत्काल आदेश से प्रदत्त की जाती है।

उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार के नाम में उनकी ओर से,
जी. के. मारवाह, सचिव

COOPERATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th January, 2006

No. F. 47/23/COOP./POLICY/05/286-94.—In exercise of the powers conferred upon him u/s 136 of DCS Act, 2003 the Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi is pleased to delegate the powers of the Government/LG with regard to appeal, review and revision under the provisions of Sections 112, 115 and 116 respectively of DCS Act, 2003 in favour of the Financial Commissioner, Govt. of NCT of Delhi with immediate effect.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor, Government of NCT of Delhi,
G. K. MARWAH, Secy.

90 DG/06—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.